न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या 85/2018
दावा दायरी दिनांक : 29/06/2018
निर्णय दिनांक : 11/9/2019

मंगलचन्द पुत्र रामचन्द्र, जाति रैगर, निवासी उदयपुरिया, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

-- वादी

बनाम

तहसीलदारजी, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

-- प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 रा0टी0ए0 व 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति – श्री भैरूलाल शर्मा
विद्वान अधिवक्ता वादी

प्रतिवादी की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 11/9/2019

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद–पत्र बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 के खाता संख्या 148 के आराजी खसरा नम्बर 1600 लगायत 1618 कुल किता 19 कुल रकबा 3.79 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम उदयपुरिया, तहसील दूदू में स्थित है, जिसकी खाते दारी जगदीश, नारायण, मूलचन्द, हरि, सीताराम, मोहनलाल पुत्र रामचन्द्र के नाम दर्ज है, चूंकि वादी को घर पर मूलचन्द पुकारते है तथा रिकार्डेड नाम मंगलचन्द हैं। वादी के पिता रामचन्द्र का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात विरासत नामान्तरकरण संख्या 502 दिनांक 15/02/1996 तस्दीक किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया है, परन्तु वरवक्त दर्ज नामान्तरकरण वादी का नाम मंगलचन्द के बजाय मूलचन्द गलत दर्ज कर दिया गया है, जबकि वास्तव मे वादी का नाम मंगलचन्द दर्ज किया जाना चाहिये था, चूंकि वादी को प्यार से घर पर मूलचन्द के नाम से पुकारते थे और आधारकार्ड, पहचान पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजात व पुत्रों के नाम के आगे वल्दियत मंगलचन्द दर्ज होने से रिकार्डेड नाम मंगलचन्द था, इसलिये

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

पटवार हल्का द्वारा जो नाम दर्ज किया गया है, उसमें मंगलचन्द के बजाय मूलचन्द दर्ज कर दिया गया है, जो काबिले दुरूस्त हैं। वादी घोषणा खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी हैं। वादी का नाम मंगलचन्द के बजाय मूलचन्द दर्ज होने से वादी को राज्य सरकार द्वारा देय लाभों परिलाभों से वंचित होना पड रहा है, इसलिये आवश्यक है कि वादी अपना नाम मूलचन्द की बजाय मंगलचन्द के नाम से दुरूस्ती की घोषणा खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। उक्त नाम का इन्द्राज दुरूस्त करने एवं सही नाम मंगलचन्द के नाम से इन्द्राज करने हेतु वादी ने कई मर्तबा प्रतिवादी संख्या 1 आवेदन प्रस्तुत किया हाल ही दिनांक 19/05/2018 को राजस्व कैम्प ग्राम पंचायत नानण में तहसीलदार दूदू द्वारा नाम दुरूस्त करने से इन्कार करने व जबरन से बेदखल करने की धमकी देने से वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ हैं।

वादी ने वाद–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि ''वादी का बाबत घोषणा खातेदारी बहक वादी डिक्री फरमाया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जावें कि वाद–पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1600 लगायत 1618 कुल किता 19 कुल रकबा 3.79 हेक्टेयर ग्राम उदयपुरिया में द र्ज इन्द्राज मूलचन्द पुत्र रामचन्द्र की बजाय मंगलचन्द पुत्र रामचन्द्र किये जाने की आज्ञा प्रदान करावें। डिक्री की पालनार्थ तहसीलदार को लिखा जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गयी। प्रतिवादी की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश किया। दिनांक 06/08/2019 को वादी ने गवाह पी.डब्ल्यू 1 पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। वकील वादी बहस करना जाहिर किया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, नकल नामान्तरकरण, आधारकार्ड, राशनकार्ड, पहचान–पत्र एवं पैरोकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि उक्त आराजीयात वादी को जरिये विरासत नामान्तरकरण संख्या 502 दिनांक 15/02/1996 के द्वारा प्राप्त हुयी हैं, जिसके आधार पर जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 के खाता संख्या 148, में खातेदार का नाम अन्य खातेदारान के साथ मूलचन्द पुत्र रामचन्द्र दर्ज है, जबकि वादी द्वारा अपना नाम मूलचन्द के स्थान पर मंगलचन्द बताया है एवं इसी अनुसार दुरूस्त करवाना चाहा हैं। इस सम्बन्ध में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करने से यह पाया जाता

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

है कि आधारकार्ड, राशनकार्ड, पहचान–पत्र आदि सभी में वादी का नाम मंगलचन्द पुत्र रामचन्द्र दर्ज है जिससे यह साबित है कि वादी का सही एवं वास्तविक मंगलचन्द ही है जो इन्द्राज जमाबन्दी में वादी का नाम मूलचन्द दर्ज किया गया है, वह मात्र सहवन से लिपिकीय भूलवश होना पाया जाता हैं। ऐसी स्थिति में वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 148 के आराजी खसरा नम्बर 1600 लगायत 1618 कुल किता 19 कुल रकबा 3.7900 हैक्टेयर वाके ग्राम उदयपुरिया, तहसील दूदू, जिला जयपुर में दर्ज खातेदार मूलचन्द पुत्र रामचन्द्र के स्थान पर मगलचन्द पुत्र रामचन्द्र दर्ज किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11/9/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
दूदू, जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
दूदू, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : 31..2

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

अन्तिम डिक्री

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दूदू मुकाम

व इजलास (श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत R.A.S.)

मंगलचन्द पुत्र रामचन्द्र रैगर बनाम तहसीलदार तहसील दूदू

वि० उदयपुरिया दावा बाबत धारा 136 भू.रा. अधि.

मुकदमा नं. 85/2016 सन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री भैरूलाल शर्मा PSI

व हाजिरी मिनजानिब मुदई रूबरू

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खाता नं० 148 के अन्तर्गत ख.नं. 1600 तादादी 1.618 कुल किता 19 कुल रकबा 3.7900 हे० वाके ग्राम उदयपुरिया तहसील दूदू जिला जयपुर में दर्ज खातेदार मूलचन्द पुत्र रामचन्द्र के स्थान पर मंगलचन्द पुत्र रामचन्द्र दर्ज किया जावे।

निज मुवक्किल बाबत

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह फीसदी ....ना आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11-09-2019 माह सन को

जारी की गई।

दस्तखत (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी

ओहदा दूदू

मुहर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner